लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2665

12 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

2665. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेलंगाना के खम्मम जिले के बय्याराम में इस्पात संयंत्र की स्थापना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जोकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में किया गया एक वादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेलंगाना सरकार ने एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें केन्द्र सरकार से उक्त इस्पात संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई आश्वासन दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संयंत्र को आरंभ करने के कार्य को तेज करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, की तेरहवीं अनुसूची की शर्तों के मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा तेलंगाना के खम्मम जिले के बय्याराम में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता संबंधी जांच की जानी थी। सेल द्वारा दिनांक 02.12.2014 को प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इस्पात संयंत्र की स्थापना प्रथम दृष्ट्या वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है।

बाद में, तेलंगाना के खम्मम जिले में इस्पात संयत्रों की स्थापना करने हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए दिनांक 19.10.2016 को एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें केंद्रीय एवं संबंधित राज्य सरकारों, सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड और एमएसटीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हैं। दिनांक 27.12.2017 को टास्क फोर्स की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संबंधित राज्य सरकार रिपोर्ट तैयार करने के लिए मेकॉन के साथ आंकड़ों का आदान-प्रदान करेगी और वास्तविक पूर्वानुमान तैयार करेगी, जिसके आधार पर मेकॉन परियोजना रिपोर्ट को पूरा करेगा।

******